— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक-30.06.2021

अजय कुमार द्वारा अवैध समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई ₹ 02 लाख की अवैध सम्पत्ति थाना जमालपुर पुलिस द्वारा की गई जब्त—

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त अजय कुमार पुत्र अमृत लाल निवासी ऊंज मुगरहां(नई बस्ती) थाना ऊंज जनपद भदोही द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप से अर्जित सम्पत्ति से क्रय किया हुआ वाहन यूपी 66 टी 7401 बजाज मैक्सिमा माल वाहन टेम्पो जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 02 लाख , जो जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध गतिविधियों से अर्जित उक्त वाहन को कुर्क किया गया था। जिसे दिनांक 30.06.2021 को थानाध्यक्ष जमालपुर विजय कुमार सरोज मय हमराह द्वारा जब्त किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विजय कुमार सरोज थानाध्यक्ष जमालपुर मीरजापुर।

2-उ0नि0 रामायण तिवारी, हे0का0 बृजेश यादव, हे0का0 मनोज यादव,हे0का0 सत्येन्द्र यादव, का0 पुष्पेन्द्र यादव

UP-66
T-7401